उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3
संख्या–613/XXXI(3)/2010–ले0–40/2008
देहरादून दिनांक: 07 मई/जून, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या: 558/XXXI(3)/2010 दिनांक 07 मई/जून, 2010 को प्रख्यापित उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस आशय से कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियां सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद चन्द्र रावत)
संयुक्त सचिव

SM Draft

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3
संख्या–558/XXXI(3)/2010–ले0–40/2008
देहरादूनः दिनांकः 07 मई, 2010
अधिसूचना जून
प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

पद नाम परिवर्तन

2. **प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष तथा सहायक लेखाकार के पदनाम परिवर्तन किया जाना**

2. उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां–जहां प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष तथा सहायक लेखाकार पदनाम आया है, वहां–वहां क्रमशः अनुसचिव (लेखा), अनुभाग अधिकारी (लेखा), समीक्षा अधिकारी(लेखा) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी(लेखा) पढ़ा जायेगा।

नियम 5 के प्रस्तर (एक), (दो),(तीन) एवं (चार) का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के प्रस्तर (एक),(दो),(तीन) एवं (चार) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्रस्तर रख दिये जायेंगे; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रस्तर	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
5.(एक) प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष–	5. (एक) अनु सचिव (लेखा) –
मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारी (लेखा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(दो) मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष–	(दो) अनुभाग अधिकारी (लेखा)
मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी (लेखा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,
परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।	परन्तु, यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी (लेखा) को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।
(तीन)लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष–	(तीन) समीक्षा अधिकारी (लेखा)
मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से (2) 50 प्रतिशत ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पदधारकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,
परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।	परन्तु, यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) को सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है।
(चार) सहायक लेखाकार	(चार) सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	शतप्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से ।

नियम 8 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक योग्यता 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताए होनी आवश्यक है:–	**शैक्षिक योग्यता** 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:–
(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा कर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता और,	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेन्सी के साथ स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन में अनुभव का 'ओ' लेबल का प्रमाण–पत्र।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान	**(दो)** देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान

नियम 16 के उपनियम (5) के वाद उपनियम (6) का जोडा जाना

5. मूल नियमावली के नियम 16 उपनियम (5) के वाद उपनियम (6) निम्नवत जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

16.(6) संयुक्त चयन सूची यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी का होगा।

नियम 17 का प्रतिस्थापन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये वर्तमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ –1 में स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	दिये गये वर्तमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियुक्ति 17.	**नियुक्ति 17.**
(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थित, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।	(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थित, नियम 15, 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।
(2) यदि किसी एक चयन के	(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां

संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जाएगा, जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 16 उपनियम (6) के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जाएगा, जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नामों को नियम 16 उपनियम (6) में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

नियय 21 के उपनियम (2) का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के उप नियम (2)के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:–

	स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिपादित नियम)		
क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (ग्रेड पे सहित) रुपये में।
1.	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	1.	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)	5200–20200+2800
2.	लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	5500–175–9000	2.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	9300–34800+4200
3.	मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	7450–225–11500	3.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	9300–34800+4800
4.	प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष	10000–325–15200	4.	अनु सचिव (लेखा)	15600–39100+6600

नियम 22 का प्रतिस्थापन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये वर्तमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिपादित नियम)
22. (1) परिवीक्षा अवधि में वेतन– मूल नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाये जब उसने	**22.(1) परिवीक्षा अवधि में वेतन–** मूल नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो;

परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

परन्तु यह और कि समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति की प्रथम वेतनवृद्धि तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की डिप्रेशन (4000 Key Depressions) प्रति घण्टा की न्यूनतम गति प्राप्त करने संबंधी परीक्षा पास न कर ली हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा;

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

आज्ञा से,

(एम0एच0 खान)
सचिव।